निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 133/2022 तारीख दायरा 01.11.2022

उनवान

1. हेमराज पुत्र रामकिशन बैरवा जाति बैरवा।
2. मुकुटबिहारी पुत्र रामकिशन जाति बैरवा।
3. कैलाश पत्नी रामकिशन जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 केसरा।
2. रमेशचन्द पुत्र स्व0 केसरा जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. रामकन्या पुत्री स्व0 केसरा पत्नी प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम झोपडिया तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।
4. रूघनाथी पुत्री स्व0 केसरा पत्नी बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यामपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा।
5. नन्दकिशोर पुत्र उद्दा जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद।
6. रामगोपाल पुत्र मोतीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. शांतिबाई पत्नी रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :– 03.01.2023

श्री अनुतोष नागर (वकील प्रतिवादी)

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के स्व0 पिता रामकिशन दत्तक पुत्र रामचन्द्र के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बंरा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 28 के कुल किता 20 की कुल 4.40 है0 आराजीयात स्थित है, जिसमें स्व0 रामकिशन दत्तक पुत्र रामचन्द्र का 1/6 हिस्सा निहित है। वादीगण के पिता/पति स्व0 रामकिशन पुत्र मोतीलाल जी थे, स्व0 रामकिशन जी बचपन में ही स्व0 रामचन्द्र जी के गोद चले गये थे, जो स्व0 रामचन्द्र जी के गोद पुत्र है, ऐसी स्थिति में स्व0 रामचन्द्र जी के स्वर्गवास के बाद वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में रामकिशन पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड हो गया है। जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर रामकिशन दत्तक पुत्र रामचन्द्र दर्ज करना चाहिए था। रामकिशन पुत्र मोतीलाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण ही मृतक रामकिशन जी के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी हैं। स्व0 रामकिशन जी के स्वर्गवास के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के 1/6 हिस्सा आराजी को बतौर विधिक उत्तराधिकारी शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और आज भी वादीगण ही उक्त हिस्सा आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है। स्व0 रामचन्द्र जी द्वारा वादीगण के पिता/पति को उनके जीवनकाल में ही समाज के रीति रिविज अनुसार गोद की रस्म पूरी करते हुए गोद ले लिया था, तब तक स्व0 रामकिशन जी बतौर गोद पुत्र रामचन्द्र के रूप में ही जाने जाते है।

उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का स्व0 रामकिशन जी से उत्तराधिकार में प्राप्त प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा निहित है तथा स्व0 रामकिशन पुत्र रामचन्द्र से प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 में प्रत्येक वादीगण

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

का 1/18–1/18 हिस्सा निहित होने से दोनो हिस्से को समाहित करने से यानि रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के हिस्से की अपने हक में घोषणा करवाने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी कम 1 व 2 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा बनता है, तथा वादी नं0 3 का पूर्व से 1/12 हिस्सा दर्ज होने से वादी नं0 3 का कुल आराजी में 1/9 हिस्सा बनता है, जिसकी वादीगण अपने हक में घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता स्व0 रामकिशन पुत्र रामचन्द्र का फौती इन्तकाल खुलवाने हेतु जाने पर पटवरी हलका द्वारा इन्तकाल खोलने से मना कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर रामकिशन पुत्र रामचन्द्र की अपने हक में घोषणा करवाना व बाद घोषणा वादीगण के पूर्व से हिस्से की आराजी के साथ उक्त घोषणा से प्राप्त होने वाली आराजी को समाहित करते हुए उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा बनता है, जिसकी वादीगण अपने हक में घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित माल ग्राम बंरा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 28 के कुल किता 20 की कुल 4.40 है0 आराजीयात में सहखातेदार रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के हिस्से का वादीगण के हक में घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा बाद घोषणा वादीकम 1 व 2 हेमराज व मुकुटबिहारी को उत्तराधिकार में प्राप्त प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा तथा स्व0 रामकिशन पुत्र रामचन्द्र से प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 में प्रत्येक वादीगण का 1/18–1/18 हिस्सा निहित होने से दोनों हिस्से को समाहित करने से यानि रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के हिस्से की अपने हक में घोषणा करवाने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा एवं वादी नं0 3 कैलाश को पूर्व से दर्ज 1/12 हिस्सा का व पति स्व0 रामकिशन से उत्तराधिकार में प्राप्त प्रत्येक का 1/36 हिस्सा तथा स्व0 रामकिशन पुत्र रामचन्द्र से प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 का 1/18 हिस्सा निहित होने से उक्त तीनों हिस्से को समाहित करके कुल 1/9 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा इस

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

आशय की घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1 ता 7 की ओर से वकील श्री अनुतोष नागर द्वारा वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त अधिवक्ता उभयपक्षकारान एवं दानों पक्षकारान द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खाता सं. नई 28 की कुल किता 20 की 4.40 है. आराजी में सहखातेदार रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज 1/6 हिस्से को वादीगण के हक में बांट बराबर से खातेदार की घोषणा की जाकर डिक्री पारित की जावे । वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक किये जाने के उपरान्त वादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामे एवं इकबाली जवाब दावे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 8 फॉमर्ल पक्षकार है तथा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम बंरा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 28 के ख.न. 149 रकबा 0.06 है0, ख.न. 178 रकबा 0.05 है0, ख.न. 239 रकबा 0.55 है0, ख.न. 240 रकबा 0.40 है0, ख.न. 241 रकबा 0.22 है0, ख.न. 347 रकबा 0.90 है0, ख.न. 348 रकबा 0.02 है0, ख.न. 349 रकबा 0.17 है0, ख.न. 351 रकबा 0.05 है0, ख.न. 352 रकबा 0.01 है0, ख.न. 353 रकबा 0.05 है0, ख.न. 354 रकबा 0.05 है0, ख.न. 355 रकबा 0.10 है0, ख.न. 356 रकबा 0.12 है0, ख.न. 388 रकबा 0.18 है0, ख.न. 389 रकबा 0.30 है0, ख.न. 390 रकबा 0.23 है0, ख.न. 391 रकबा 0.35 है0, ख.न. 400 रकबा 0.27 है0, ख.न. 401 रकबा 0.32 है0 कुल किता 20 की कुल 4.40 है0 आराजीयात में रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

हटाया जाकर उसके नाम दर्ज 1/6 हिस्से पर वादीगण को बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषण के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 133/2022

तारीख दायरा 01.11.2022

उनवान

1. हेमराज पुत्र रामकिशन बैरवा जाति बैरवा।
2. मुकुटबिहारी पुत्र रामकिशन जाति बैरवा।
3. कैलाश पत्नी रामकिशन जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 केसरा।
2. रमेशचन्द पुत्र स्व0 केसरा जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. रामकन्या पुत्री स्व0 केसरा पत्नी प्रहलाद जाति बैरवा निवासी ग्राम झोपडिया तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान।
4. रूघनाथी पुत्री स्व0 केसरा पत्नी बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम श्यामपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा।
5. नन्दकिशोर पुत्र उद्दा जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद।
6. रामगोपाल पुत्र मोतीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. शांतिबाई पत्नी रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरा तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

6

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :– 03.01.2023

श्री अनुतोष नागर (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर वादीगण मिन जानिब मुदई रूबरू श्री अनुतोष नागर प्रतिवादीगण मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम बंरा पटवार हलका लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 28 के ख.न. 149 रकबा 0.06 है0, ख.न. 178 रकबा 0.05 है0, ख.न. 239 रकबा 0.55 है0, ख.न. 240 रकबा 0.40 है0, ख.न. 241 रकबा 0.22 है0, ख.न. 347 रकबा 0.90 है0, ख.न. 348 रकबा 0.02 है0, ख.न. 349 रकबा 0.17 है0, ख.न. 351 रकबा 0.05 है0, ख.न. 352 रकबा 0.01 है0, ख.न. 353 रकबा 0.05 है0, ख.न. 354 रकबा 0.05 है0, ख.न. 355 रकबा 0.10 है0, ख.न. 356 रकबा 0.12 है0, ख.न. 388 रकबा 0.18 है0, ख.न. 389 रकबा 0.30 है0, ख.न. 390 रकबा 0.23 है0, ख.न. 391 रकबा 0.35 है0, ख.न. 400 रकबा 0.27 है0, ख.न. 401 रकबा 0.32 है0 कुल किता 20 की कुल 4.40 है0 आराजीयात में रामकिशन पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज हटाया जाकर उसके नाम दर्ज 1/6 हिस्से पर वादीगण को बांट बराबर अर्थात प्रत्येक को 1/18–1/18 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषण के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मोहर

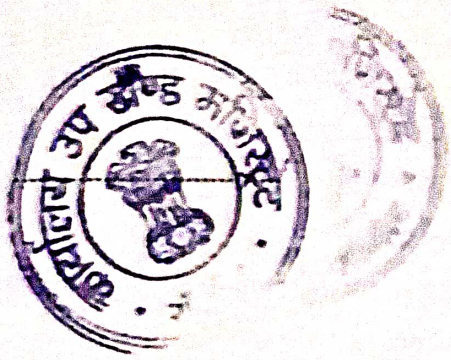

राजेश डेमिस (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ----	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी ----		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील ----		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान ----		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर ----		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा ----		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ----		
मुतफर्रिक			मीजान ----		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
राजेश डेमिस (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद